

## मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

( फरवरी-मार्च, 2017 सत्र )

( 21 फरवरी, 2017 से 31 मार्च, 2017 तक )

प्रश्नोत्तरों के लिये विभागों के वर्ग, प्रत्येक विभाग के लिए प्रभारी मंत्री, उत्तर के लिए निश्चित दिनांक तथा उस दिनांक के लिए प्रश्नों की सूचना देने का अन्तिम दिनांक दर्शाने वाला विवरण

विभाग का नाम	प्रभारी मंत्री	उत्तरों के लिए निश्चित दिनांक	प्रश्नों की सूचना देने का अन्तिम दिनांक	
			ऑनलाईन	ऑफलाईन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

### वर्ग-1

जल संसाधन	जल संसाधन मंत्री			
संसदीय कार्य	— " —			
जनसंपर्क	— " —	22 फरवरी, 2017	26 जनवरी, 2017	27 जनवरी, 2017
किसान कल्याण तथा कृषि विकास	किसान कल्याण मंत्री	02 मार्च, 2017	03 फरवरी, 2017	04 फरवरी, 2017
लोक निर्माण	लोक निर्माण मंत्री	09 मार्च, 2017	12 फरवरी, 2017	13 फरवरी, 2017
विधि और विधायी कार्य	— " —	23 मार्च, 2017	24 फरवरी, 2017	25 फरवरी, 2017
सहकारिता	राज्यमंत्री, सहकारिता	31 मार्च, 2017	03 मार्च, 2017	04 मार्च, 2017
भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	— " —			
उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	राज्यमंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण			

### वर्ग-2

सामान्य प्रशासन	मुख्यमंत्री			
विमानन	— " —			
पुनर्वास	— " —			
आनन्द	— " —	23 फरवरी, 2017	27 जनवरी, 2017	28 जनवरी, 2017
वित्त	वित्त मंत्री	03 मार्च, 2017	03 फरवरी, 2017	04 फरवरी, 2017
वाणिज्यिक कर	— " —	10 मार्च, 2017	12 फरवरी, 2017	13 फरवरी, 2017
महिला एवं बाल विकास	महिला एवं बाल विकास मंत्री	24 मार्च, 2017	24 फरवरी, 2017	25 फरवरी, 2017
ऊर्जा	ऊर्जा मंत्री			
नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	— " —			
नर्मदा घाटी विकास	राज्यमंत्री, नर्मदा घाटी विकास			
संस्कृति	राज्यमंत्री, संस्कृति			
पर्यटन	— " —			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>वर्ग-3</b>				
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री			
जेल	— " —			
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री			
श्रम	— " —			
राजस्व	राजस्व मंत्री			
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	— " —	27 फरवरी, 2017	31 जनवरी, 2017	01 फरवरी, 2017
पशुपालन	पशुपालन मंत्री	06 मार्च, 2017	07 फरवरी, 2017	08 फरवरी, 2017
मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	— " —	20 मार्च, 2017	21 फरवरी, 2017	22 फरवरी, 2017
कुटीर एवं ग्रामोद्योग	— " —	27 मार्च, 2017	28 फरवरी, 2017	01 मार्च, 2017
पर्यावरण	— " —			
गृह	गृह मंत्री			
परिवहन	— " —			
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	राज्यमंत्री, तकनीकी शिक्षा			
<b>वर्ग-4</b>				
पंचायत और ग्रामीण विकास	पंचायत मंत्री			
सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण	— " —			
वन	वन मंत्री			
योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	— " —			
खेल एवं युवा कल्याण	खेल एवं युवा कल्याण मंत्री			
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	— " —			
खनिज साधन	खनिज साधन मंत्री	28 फरवरी, 2017	01 फरवरी, 2017	02 फरवरी, 2017
वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	— " —	07 मार्च, 2017	08 फरवरी, 2017	09 फरवरी, 2017
प्रवासी भारतीय	— " —	21 मार्च, 2017	22 फरवरी, 2017	23 फरवरी, 2017
नगरीय विकास एवं आवास	नगरीय विकास एवं आवास मंत्री	28 मार्च, 2017	01 मार्च, 2017	02 मार्च, 2017
उच्च शिक्षा	उच्च शिक्षा मंत्री			
लोक सेवा प्रबंधन	— " —			
जन शिकायत निवारण	— " —			
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम	राज्यमंत्री, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>वर्ग-5</b>				
स्कूल शिक्षा	स्कूल शिक्षा मंत्री			
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री			
आयुष	— " —	01 मार्च, 2017	02 फरवरी, 2017	03 फरवरी, 2017
आदिम जाति कल्याण	आदिम जाति कल्याण मंत्री	08 मार्च, 2017	08 फरवरी, 2017	09 फरवरी, 2017
अनुसूचित जाति कल्याण	— " —	22 मार्च, 2017	22 फरवरी, 2017	23 फरवरी, 2017
चिकित्सा शिक्षा	राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा	30 मार्च, 2017	03 मार्च, 2017	04 मार्च, 2017
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण	राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण			
विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण	— " —			

भोपाल :  
दिनांक : 16 जनवरी, 2017

ए. पी. सिंह  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.

**नोट.—**

- कृपया प्रश्न यथासमय टंकित कराकर दें। साथ ही वर्ग, प्रश्न पूछने की बैठक का दिनांक, विभाग का नाम, विषय, "श्री ....." में प्रश्नकर्ता सदस्य का नाम, संबंधित मंत्री का पदनाम, सदस्य के हस्ताक्षर, क्षेत्र क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख करने के साथ ही प्रश्न को आवश्यकतानुसार क, ख, ग, घ इत्यादि भागों में विभक्त करने का कष्ट करें।
- कृपया उपर्युक्त प्रारूप अनुसार प्रश्नों की सूचना विधान सभा सचिवालय द्वारा मुद्रित प्रपत्र में ही दें।
- विवरण के स्तम्भ (3) व (4) में उल्लेखित दिनांक स्तम्भ (1) में दिये गये विभागों के सम्पूर्ण वर्ग को लागू होंगी।
- ऑफलाईन सूचनाएं विधान सभा सचिवालय में (शासकीय अवकाश को छोड़कर) कार्यालय समय में 11:00 बजे दिन से 4:30 बजे दिन के बीच ही प्राप्त की जाएंगी तथा ऑनलाईन सूचनाएं स्तम्भ (4) में उल्लिखित दिनांक को रात्रि 12:00 बजे तक प्राप्त की जाएंगी।
- मा. सदस्य प्रश्नों में मध्यप्रदेश विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 31 (2) के संदर्भ में वरीयताक्रम (यथा प्रथम, द्वितीय) दर्शायें।